संख्या-22/2025/1828/94-1-2025-312(109)/2023

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ0प्र0 लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 17 अक्टूबर, 2025**

विषयः- प्रदेश के प्रत्येक उप निबन्धक कार्यालयों (कुल 380) में सुरक्षा गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-3972/शि०क०लख०/2025 दिनांक 08.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 380 उप निबंधक कार्यालयों में से 111 कार्यालयों की सुरक्षा हेतु 315 भूतपूर्व सैनिक एवं 12 सुपरवाइजर उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से प्राप्त करने एवं शेष 269 कार्यालयों की सुरक्षा हेतु 789 होमगार्ड लिये जाने पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय धनराशि रू0 40,53,82,883.64 का व्यय लेखा शीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 011 निदेशन तथा प्रशासन, 04 जिला व्यय, 58-आउटसोर्स से किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 380 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड रखे जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नांनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

I. उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों की सेवायें प्रथम वरीयता पर प्राप्त की जाये तथा जहाँ पर उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता न हो वहाँ सुरक्षा हेतु होमगार्ड रखे जाये। उक्तानुसार न्यूनतम आवश्यकता का आकलन कर सुरक्षा सेवायें प्राप्त करने हेतु महानिरीक्षक निबंधन को अधिकृत किया जाता है।

II. भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को समय-समय पर सक्षम स्तर से संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

III. भविष्य में नए कार्यालय सृजित व संचालित होने अथवा उसी परिसर में संचालित कार्यालयों को पृथक किये जाने पर सुरक्षा हेतु आवश्यक न्यूनतम संख्या का आकलन कर सुरक्षा गार्ड लेने हेतु महानिरीक्षक निबंधन को अधिकृत किया जाता है।

IV. वर्तमान उपलब्धता एवं कार्यालय संख्या के अनुसार प्रदेश के 111 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा हेतु 315 भूतपूर्व सैनिक तथा 12 सुपरवाइजर प्राप्त किये जाने तथा शेष 269 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा हेतु 789 होमगार्ड लिये जाने हेतु कुल मासिक व्यय धनराशि रु० 3,37,81,906.97 एवं वार्षिक व्यय धनराशि रु० 40,53,82,883.64 सम्भावित है। यह धनराशि आय-व्ययक अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03-पंजीकरण 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के मानक मद संख्या 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं में प्रावधानित धनराशि से व्यय की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: अनुरोध है कि कृपया उप निबंधक कार्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिगत बजट में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक/ होमगार्ड तैनात किये जाने के सम्बन्ध में न्यूनतम आवश्यकता का आकलन करते हुए स्वस्तर से नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।